प्रार्थना पत्र संख्याः 556 / 2025

01.08.2025

892/2 है के स्थान पर 892 अंकित कर दिया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 307 रकबा 0.28 है0, का सेगरीगेशन के समय हाल नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 308 का रकबा सम्मिलित कर तरमीम कर दी गई है जो गलत ह। जबकि प्रार्थीया के साबिक नक्शाट्रेस के अनुसार खसरा नम्बर 307 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 308 की तरमीम अलग–अलग की जानी थी और उसी अनुसार प्रार्थीया के हाल खसरा नम्बर 307 रकबा 0.28 है0 की रकबा बरारी कर दुरूस्त किया जाना चाहिए था जो कि नही हुआ। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम महापुरा, पटवार हल्का महापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2054/892 रकबा 0.0567 है0, भूमि की तरमीम मौके के विपरित गलत जगह कर दी गई उसको नक्शाट्रेस में सही जगह रकबा बरारी के अनुसार एवं हाल नक्शाट्रेस में खसरा नम्बर 892/2 अंकित है के उसके स्थान पर 892 एवं खसरा नम्बर 892 के स्थान पर 892/2 अंकित किये जाने एवं उसी अनुसार नक्शाट्रेस में दुरूस्त करने तथा खसरा नम्बर 307 रकबा 0.28 है0 की तरमीम पूर्व नक्शे के अनुसार रकबा बरारी कर हाल नक्शाट्रेस को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)